

2018/00343

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम खान्दक की जमाबंदी संवत् 2071 के खाता संख्या 36 में प्रार्थी का नाम सुरेश कृष्ण चौधरी जाति चमार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम सुरेश कृष्ण चौधरी जाति बैरा दर्ज है। अतः उक्त खाते में प्रार्थी का नाम सुरेश कृष्ण चौधरी जाति चमार के बजाय नाम सुरेश कृष्ण चौधरी जाति बैरा दर्ज किया जाना उचित होगा।

सुरेश कृष्ण चौधरी
पटवारी पं.स. खान्दक
तह. खान्दक जिला-मीलवाड़ा

11/6/18
गुर-कु-वम

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी पॉन्च J.L.R. संशोधन एकीकरण योजना के अंतर्गत है।

[Signature]
तहसीलदार
फूलियाकलाँ, जिला-मीलवाड़ा

फ़.सं. 369/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018" के अंतर्गत केम्प - सगगारी दिनांक - 12/6/18

इस रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकलाँ के माफ़ खाता की जमाबंदी संवत् 2071-14 के खाता सं. 26 में दर्ज चमार की बजाय बैरा दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है।

पालक तहसीलदार फूलियाकलाँ को भेजा जावे।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी एवं
फूलियाकलाँ, जिला-मीलवाड़ा